रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY.

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 1974/आषाढ 7, 1896

No. 157] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 1974/ASADHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1974

No. F. 5(5)-W&M/74.—Subscriptions for the issues of 5 per cent Loan, 1979, 5-1/2 per cent. Loan, 1985 and 6 per cent. Loan, 1998 will be received from the 16th of July 1974. Subscriptions will be received in the form of cash or of securities of Government of India 3-3/4 per cent. Loan, 1974 and the issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversion amount approximately to Rs. 400 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 18th of July 1974. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent. in excess of the sum of Rs. 400 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 440 crores (Nominal), partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3.5 PER CENT. LOAN, 1979 ISSUED AT RS. 99.50 PER CENT. AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 16TH JULY, 1979.

(i) *Date repayment.*—The Loan will be repaid at par on the 16th of July 1979.

(ii) *Issue Price.*—The issue price will be Rs. 99.50 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) *Interest.*—The Loan will bear interest at the rate of 5 per cent. per annum from 16th July 1974. Interest will be paid half-yearly on the 16th January and 16th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 5-1/2 PER CENT. LOAN, 1985 ISSUED AT RS. 99.75 PER CENT. AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 16TH JULY, 1985.

(i) *Date of repayment.*—The loan will be repaid at par on the 16th of July 1985.

(ii) *Issue Price.*—The issue price will be Rs. 99.75 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) *Interest.*—The Loan will bear interest at the rate of 5-1|2 per cent. per annum from 16th July 1974. Interest will be paid half-yearly on the 16th January and 16th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 6 PER CENT. LOAN 1998 ISSUED AT RS. 99.50 PER CENT. AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 16TH JULY, 1998.

(i) *Date of repayment.*—The Loan will be repaid at par on the 16th of July 1998.

(ii) *Issue Price.*—The issue price will be Rs. 99.50 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) *Interest.*—The Loan will bear interest at the rate of 6 per cent. per annum from 16th July 1974. Interest will be paid half yearly on the 16th January and 16th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

CONVERSION TERMS

6. Securities of the 3-3|4 per cent. Loan, 1974 will be accepted for conversion into the new Loans at par. Interest at the rate of 3-3|4 per cent. per annum on the securities of 3-3/4 per cent Loan 1974 tendered for conversion will be paid upto and inclusive of 15th July 1974 at the time of issue of new securities.

If the cash value of the securities tendered is not an exact multiple of the issue price per cent. of the new loans applied for, the tender will receive in cash at the time of issue of new securities, the amount by which the value of the securities tendered exceeds the nearest lower multiple of the issue price.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

7. *Place of payment of interest* —Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-treasury elsewhere in India, except the State of Jammu and Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

8. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the annual Finance Acts, will be obtainable by holders of the loans who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

9. Interest on all the loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from Income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

10. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

11. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

12. *Applications for the loans.*—Applications for the loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

13. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;

(b) Branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and

(c) Branches of the State Bank of India at other places in India.

14. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

15. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of Loan which is acceptable for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

(i) in the case of Stock Certificates by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness;

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below:—

"Pay to the President of India".

16. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the paying offices within six months from the date of floatation of the loans.

By Order of the President,

M. NARASIMHAM,

Additional Secretary to the Govt. of India.

FORM OF APPLICATION

I/We.....

[Full name (s) in Block letters]

herewith tender *Cash Rs. *Cheque for Rs. *Securities of Government of India 3-3/4 per cent. Loan, 1974 of the nominal value of Rs. and request that securities of 5 per cent Loan, 1979*/5-1/2 per cent Loan, 1985*/6 per cent Loan, 1998* of the nominal value of Rs..... may be issued to

me/us in the form of $\frac{\text{Promissory Note(s)}\ddagger}{\text{Stock Certificate.}}$ interest to be payable at ..

Signature.....

Name in full

(Block letters)

.....

Address

.....

.....

Dated the of July 1974

Note.—(1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant, if they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the back should be signed by him before a witness, if they are in form of Stock Certificates.

(2) Separate application should be made for each Loan, each form of subscription and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or certified copies of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

(5) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for transmission of half-yearly intrest to them.

*Delete what is not required.

‡Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination required.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 1974

संख्या एफ० 5(5) डब्ल्यू ऐण्ड एम/74.—5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1979, $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1985 और 6 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1998 के लिए 16 जुलाई, 1974 से रकम स्वीकार की जायेगी। यह रकम नकद या भारत सरकार की $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1974 की सिक्यूरिटियों के रूप में स्वीकार की जायेगी और ज्यों ही यह धनराशि लगभग 400 करोड़ रुपये (अंकित) मूल्य तक पहुंच जायेगी, त्यों ही यह ऋण बिना किसी सूचना के बन्द कर दिये जायेंगे और हर हालत में यह 18 जुलाई, 1974 को काम बन्द होने के समय के बाद बन्द हो जायेंगे। सरकार को 400 करोड़ रुपये की रकम से ऊपर प्राप्त रकम का 10 प्रतिशत तक अपने पास रखने का अधिकार होगा।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल रकम 440 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाये, तो नकद रकम देने वालों के नाम इसका आंशिक नियतन कर दिया जायेगा। अगर नकद रकम की आंशिक राशि इस तरह नियत की गयी तो बकाया रकम यथाशीघ्र अनुपात के आधार पर वापस कर दी जायेगी। इस प्रकार वापस की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

3. **99.50 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 16 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1979**

(i) **अदायगी की तारीख**—यह ऋण 16 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर अदा किया जायेगा।

(ii) **निर्गम मूल्य**—प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के ऋण का निर्गम मूल्य 99.50 रुपये होगा।

(iii) **ब्याज**—इस ऋण पर ब्याज 16 जुलाई, 1974 से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिया जायेगा। यह ब्याज साल में हर छह महीने के बाद 16 जनवरी, और 16 जुलाई, को दिया जायेगा। इस ब्याज पर नीचे लिखे पैरा 8 और 9 में दी गई शर्तों के रहते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के आधीन आय-कर लगेगा।

4. **99.75 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 16 जुलाई, 1985 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1985**

(i) **अदायगी की तारीख**—यह ऋण 16 जुलाई, 1985 को सम-मूल्य पर अदा किया जायेगा।

(ii) **निर्गम मूल्य**—प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के ऋण का निर्गम मूल्य 99.75 रुपये होगा।

(iii) **ब्याज**—इस ऋण पर ब्याज 16 जुलाई, 1974 से $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिया जायगा। यह ब्याज साल में हर छह महीने के बाद 16 जनवरी और 16 जुलाई को दिया जायेगा। इस ब्याज पर नीचे लिखे पैरा 8 और 9 में दी गई शर्तों के रहते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 के आधीन आयकर लगेगा।

5. 99.50 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 16 जुलाई, 1998 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 6 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1998.

(i) **अदायगी की तारीख**– यह ऋण 16 जुलाई, 1998 को सम-मूल्य पर अदा किया जायगा ।

(ii) **निर्गम मुल्य**––प्रत्येक 100 रुपये (अंकित मूल्य) के ऋण का निर्गम मूल्य 99.50 रुपये होगा ।

(iii) **ब्याज**––इस ऋण पर ब्याज 16 जुलाई, 1974 से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिया जायेगा । यह ब्याज साल में हर छह महीने के बाद 16 जनवरी और 16 जुलाई को दिया जायेगा । इस ब्याज पर नीचे लिखे पैरा 8 और 9 में दी गई शर्तों के रहते हुए आय-कर अधिनियम, 1961 के आधीन आय-कर लगेगा ।

नये ऋणों में बदलने की शर्तें

6. 3-3/4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1974 की सिक्यूरिटियां नये ऋणों में बदलने के लिए सम-मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी । 3-3/4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1974 की सिक्यूरिटियां जब नये ऋणों में बदलने के लिए दी जायेंगी, तब उनके बदले नयी सिक्यूरिटियां जारी करते समय 15 जुलाई, 1974 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल होगी, 3-3/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा ।

जहां नये ऋणों में बदलने के लिए दी गई सिक्यूरिटियां निर्गम मूल्य के आधार पर ठीक-ठीक बिना कुछ बकाया रहे नहीं बदली जा सकेंगी वहां इन पुरानी सिक्यूरिटियों के देने वाले को नयी सिक्यूरिटियां जारी करते समय बकाया रकम नकद वापस कर दी जायेगी ।

पूरक निर्देश

7. ब्याज की अदायगी का स्थान––इस ऋण के ब्याज की रकम भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत में अन्यत्र किसी ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी में तथा जम्मू और श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालयों में अदा की जायगी ।

8. वे लोग जिन पर आयकर नहीं लगता है या जिन पर नियत दर, जिस पर आयकर काटा जाता है, उससे कम दर पर आयकर लगता है, ब्याज की अदायगी के समय (वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) काटी गयी कर की रकम वापस ले सकेंगे ।

ऋण देने वाले लोगों को, जिन्हें आयकर काटे बिना या लागू न्यूनतम दर पर आय कर काट कर ब्याज मिलना चाहिए, अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारी से प्रमाणपत्र के साथ आवेदन पत्र देने पर आयकर काटे बिना या लागू न्यूनतम दर पर आयकर काट कर ब्याज मिल सकेगा ।

9. पिछली अन्य सरकारी सिक्यूरिटियों और इस समय जारी सभी ऋणों पर तथा अन्य अनुमोदित जमा रकम से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगेगा किन्तु इस तरह की कर-मक्त आय की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 3000 रुपये होगी और इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(एल) के अन्य उपबन्ध लागू होंगे ।

10. सरकारी सिक्यूरिटियों में जमा पिछली रकम और इस समय जारी ऋणों में लगायी गयी रकम और धन-कर अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित लगायी गयी अन्य रकम पर 1,50,000 रुपये तक धन-कर नहीं लगेगा ।

11. ये सिक्यूरिटियां निम्नलिखित रूपों में जारी की जायेंगी :—

(i) स्टाक, इस रूप में जमा करने वाले को स्टाक सर्टिफिकेट दिये जायेंगे, अथवा

(ii) प्रामिसरी नोट

यदि आवेदक अपनी कोई राय नहीं जाहिर करेंगे तो सिक्यूरिटियां प्रामिसरी नोटों के रूप में जारी की जायेंगी ।

12. ऋण के लिये आवेदन पत्र :—आवेदन पत्र सौ रुपये या उसके गुणकों के ऋणों के लिये दिये जाने चाहिएं ।

13. ऋण के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित स्थान पर लिए जायेंगे :—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई (फोर्ट और भायखुला), कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित कार्यालय ;

(ख) हैदराबाद शाखा को छोड़कर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंकों की शाखाएं जो सरकारी ट्रेजरी के रूप में कार्य करती हों, और

(ग) भारत के अन्य स्थानों पर स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाएं ।

14. आवेदन-पत्र इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र (फार्म) के रूप में या किसी ऐसे अन्य रूप में होना चाहिए, जिसमें सिक्यूरिटियों की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप में दिया गया हो, जहां वह ब्याज की रकम लेना चाहता हो ।

15. आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक नकद रकम या चैक या नये ऋणों में बदलने के लिए स्वीकार्य ऋण की सिक्यूरिटियां दी जानी चाहिएं । भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया या उसके सहायक बैंकों में दिए जाने वाले चैक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिएं । नये ऋणों में बदलने के लिए दीजाने वाली सिक्यूरिटियां सरकार के नाम अन्तरित की जानी चाहिएं :—

(i) स्टाक सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में, किसी गवाह के सामने स्टाक सर्टिफिकेट के पीछे ट्रांसफर डीड पर हस्ताक्षर कर ;

(ii) प्रामिसरी नोट के सम्बन्ध में, नीचे लिखे अनुसार पृष्ठांकित कर—"भारत के राष्ट्रपति को अदा की जाय ।"

16. मान्यता प्राप्त बैंकों और दलालों को उन आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में, जिनपर उनकी मुहर हो, 6 पैसे प्रति 100 रुपये (अंकित मूल्य) की दर से दलाली दी जायेगी ।

दलाली की अदायगी के दावे के लिए आवेदन-पत्र ऋण जारी किए जाने की तारीख से छह महीनों के अन्दर भुगतान कार्यालयों में दिया जाना चाहिए ।

राष्ट्रपति के आदेश से,

एम० नरसिंहमूर्ति,

अपर सचिव, भारत सरकार ।

आवेदन पत्र

मैं/हम———————————————————————

(पूरा/पूरे नाम साफ-साफ अक्षरों में)

इस आवेदन पत्र के साथ———————————————————————

रुपये नकद* ———————————रुपये का चैक* ———————————

———————————रुपये के अंकित मूल्य की $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1974 की भारत सरकार की सिक्यूरिटियां* पेश करता हूं / करते हैं और निवेदन करता हूं / करते हैं कि मुझे/हमें 5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1979*/5-$\frac{1}{2}$, प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1895*/6 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1998* की———————————रुपये के अंकित मूल्य की सिक्यूरिटियां

प्रामिसरी नोट**

———————————के रूप में जारी की जाएं जिनका ब्याज———————————पर देय हो।

स्टाक पत्र (पत्रों)

हस्ताक्षर———————————

पूरा नाम———————————

(साफ अक्षरों में)

पता———————————

———————————

———————————

दिनांक जुलाई, 1974

टिप्पणी :

(1) यदि बदलने के लिए पेश की गयी सिक्यूरिटियां प्रामिसरी नोट हों, तो प्रामिसरी नोट, आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर 'भारत के राष्ट्रपति को अदा की जाये' वाक्य द्वारा पृष्ठांकित कर उसके नीचे आवेदक के दस्तखत होने चाहिएं और अगर ये सिक्यूरिटियां स्टाक सर्टिफिकेट हों तो स्टाक सर्टिफिकेट के पीछे ट्रांसफर डीड पर किसी गवाह के सामने दस्तखत किये जाने चाहिएं।

(2) आवेदन-पत्र जमा की जाने वाली हर किस्म की रकम और हर नये ऋण के स्टाक सर्टिफिकेट या प्रामिसरी नोट के लिये अलग-अलग होने चाहिएं।

(3) अगर आवेदक ने दस्तखत के रूप में अंगूठे का निशान लगाया हो, तो उस पर दो गवाहों की गवाही होनी चाहिएं। गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनका पूरा नाम, व्यवसाय और पता दिया जाना चाहिए।

(4) यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाये तो जमा की जाने वाली रकम के लिए आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे प्रमाणपत्र, यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न किये गये हों, लगाये जाने चाहिएं :—

(i) संस्था के पंजीकरण/निगमन का प्रमाण-पत्र

(ii) संस्था/कम्पनी का ज्ञापन और नियमावली या नियमों तथा विनियमों/उपविधियों की प्रमाणित प्रति

(iii) संस्था/कम्पनी की ओर से सरकारी सिक्यूरिटियों का कारबार करने के लिये प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के हक में जारी किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रति।

(5) स्टाक सर्टिफिकेटों के रूप में सिक्यूरिटियां प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को चाहिए कि वे सरकारी ऋण कार्यालय से एक आदेश पत्र लेकर भी भरें ताकि उन्हें छमाही ब्याज भेजा जा सके।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाये।

**प्रामिसरी नोट 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्य वर्गों के जारी किये जायेंगे। जो मूल्यवर्ग आप चाहते हैं उसका उल्लेख कीजिए।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974